


## FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी,  
गुलाबीदेवी पत्नि गणपतराम जाति जाट  
सा. नाडा का बालाजी खोरण्डी तह. नावांबमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
बनाम बिदामीदेवी पत्नि भूराराम जाति अहिर वगै.  
सा. लोहरवाड़ा तह. फुलेरा

किस्म कुमदमां : 212 आर.टी.ए.

मुकदमां नम्बर 105/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
07.09.2020	<p>प्रार्थीया की ओर से इसी अनुवान प्रार्थना पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 152 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 707/16 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी 1 व 2 किसी विशिष्ट भू-भाग का अंकन कर बैचान/हस्तानान्तरण न करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थी 1, 2 व 5 के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को जिसको आपत्ति हो, तो नियत तिथि को असातन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.10.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्ममलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>12/10/20 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बहार है पत्रावली दिनांक 12.10.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">4v</p> <p>15/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बहार है पत्रावली दिनांक 16.12.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">4v</p> <p>16/2/21 अधिवक्ता प्राची उप. अप्रार्थीगण की तमाम पेश करी। किन्ति 14/2/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">6m-</p>	

5/5/21 पत्रावली पेश हुई। जम्माय उप. पीठासीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर  
बाधारे है पत्रावली दिनांक 18/5/21  
को पेश हो।

SR

18/5/21 पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के महामारी फैलने होने  
के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व  
साबिया अनुसार दिनांक 24/5/21 को पेश है।

SR

7/2/23

पत्रावली माननीय न्यायालय राजश्व अपील  
प्राधिकारी नागौर से प्राप्त होने से आज  
पेश हुई। मूल वाद पत्र बडनबान गुलाबदेवी  
बनाम बिकारीदेवी वगैरह का निस्तान हो  
चुका है इसलिए श्वर प्रार्थना पत्र की ओर  
ध्यान देने का कोई औचित्य नहीं रह गया  
है।

धनः प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र मूल वाद  
पत्र का निस्तान हो जाने से खालि किया  
जाता है पत्रावली फौजदारी हुकम होकर नम्बर  
से क्रम ही व काबिल रूप है।

उपखण्ड अधिकारी  
नावां (नागौर)